रजिस्ट्री सं० डी०-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 231] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 20, 1974/भाद्र 29, 1896

No. 231] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 20, 1974/BHADRA 29, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

Central Secretariat Library 1974 Govt. of India

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 20th September, 1974

SUBJECT.—*Amendment in Bonafide Personal Baggage rules.*

No. 34-ETC(PN)/74.—Reference Appendix 10 of the Export Trade Control Handbook of Policy and Procedure. 1974, relating to export of Bonafide Personal baggage.

2. It has been decided to add the following after items Nos. A(ii) and B.(17) appearing at pages 166 and 168, respectively, of the Export Trade Control Hand Book of Policy and Procedure 1974:—

"NOTE.—Skins of Tiger, Leopard, Panther or articles made therefrom will not be treated as personal baggage".

B. D. KUMAR,

Chief Controller of Imports & Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 1974

विषय.—वास्तविक व्यक्तिगत असबाब नियमों में संशोधन ।

सं० 34—आई० टी० सी० (पी० एन०)/74.—वास्तविक व्यक्तिगत असबाब के निर्यात से संबंधित निर्यात नियंत्रण नीति एवं क्रियाविधि हैंडबुक, 1974 के परिशिष्ट 10 के संदर्भ में ।

यह निश्चय किया गया है कि निर्यात व्यापार नियंत्रण नीति एवं क्रियाविधि हैंडबुक, 1974 की क्रमशः पृष्ठ संख्या: 166 एवं 168 पर दिखाई गई मद सं० ए (2) एवं० बी (17) के बाद निम्नलिखित मदों को जोड़ा जाए:—

नोट:— बाघ, चीता, तेन्दुआ की खाले अथवा इनसे बनाई गई; वस्तुएं व्यक्तिगत असबाब के रूप में नहीं मानी जाएंगी ।

बी० डी० कुमार,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974